# न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–03, गोण्डा।

## जमानत प्रार्थना पत्र सं0 1300/2026

**CNR No. UPGD01003820-2026**

शुभकरन उम्र करीब 42 वर्ष पुत्र राजमनि, निवासी–पूरे सिंधरी, परगना व तहसील व जिला गोण्डा।

**————————————प्रार्थी/अभियुक्त।**

**बनाम**

सरकार उत्तर प्रदेश। **————————————————————————— अभियोगी।**

**मु0अ0सं0 सी–33/2007,**
**धारा 419, 420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता,**
**थाना कोतवाली नगर, जिला गोण्डा।**

**दिनांक 08.06.2026**

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **शुभकरन** के द्वारा जरिये अधिवक्ता मुकदमा अपराध संख्या सी–33/2007, अन्तर्गत धारा 419, 420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता, थाना कोतवाली नगर, जिला गोण्डा के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में उसकी पैरोकार किरन तिवारी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादीगण एवं जगई उर्फ राजेश कुमार गाटा सं0–80/0.121 डि0, 221/0.49 डि0 एवं 232ख/0.05 डि0 के संयुक्त रूप से मालिक, काबिज एवं भूमिधर थे। जगई उर्फ राजेश कुमार मुम्बई में रहते थे और कभी–कभी आते थे। प्रार्थीगण के चचेरे भाई के कोई पत्नी अथवा बच्चे नहीं थे। राजेश कुमार का अचानक स्वर्गवास हो गया और वरासत के आधार पर वादीगण मालिक, काबिज हो गये। अभियुक्तगण वीरेन्द्र कुमार व हंसराज ने जगई उर्फ राजेश कुमार की मु0 राजरानी को फर्जी पत्नी दर्शित करके विजय कुमार, सुरेश गुलशन कुमार को जगई का पुत्र दर्शित करके गाटा सं0–80 व 232ख के 1/2 भाग का बैनामा अपने हक में करवाया। राजरानी नामक औरत न तो जगई की पत्नी थी और न विजय कुमार आदि जगई के पुत्र है। समस्त कार्यवाही जमीन हड़पने के उद्देश्य से की गयी है। बैनामा के हासिया गवाह भी फर्जी व्यक्ति है। फर्जी बैनामा के आधार पर अभियुक्तगण जबरन कब्जा की योजना बना रहे हैं तथा जान–माल की धमकी दे रहे हैं।

3– वादी मुकदमा के उक्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर, गोण्डा में दिनांक 04.12.2007 को 13:40 बजे अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया, विवेचनोपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

4– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत के आवेदन में यह आधार लिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को रंजिशन बेगुनाह उक्त मुकदमें में अभियुक्त बनाया गया है, उसका अपराध उपरोक्त से कोई भी वास्ता, सरोकार नहीं है। आवेदक/अभियुक्त का नाम उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त सं0–4 गवाह के रूप में दर्ज किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का उपरोक्त घटनाक्रम में दर्शित विवादित भूमि व उसकी विषय वस्तु से कोई भी वास्ता व सरोकार नहीं है। घटना उपरोक्त में दर्शित विवादित भूमि से प्रार्थी/अभियुक्त का कोई वास्ता



Digitally signed by DANISH HASNAIN
Date: 2026.06.12 22:47:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सरोकार नहीं है। मुकदमा उपरोक्त में दर्शित सभी धारा मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय है। इन कथनों के आधार पर आवेदक को जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

5— अभियोजन की तरफ से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है तथा कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6— मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

7— प्रस्तुत मामले में आवेदक पर यह अभियोग लगाया गया है कि इसके द्वारा अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी मुकदमा के हक की भूमि को छल से फर्जी व कूटरचित बैनामा तैयार कर उसका असल के रूप में प्रयोग करते हुए वादी पक्ष के साथ छल कारित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2005 के अवलोकन से विदित है कि राजरानी, जगई की पत्नी के रूप में स्थापित है तथा तहसीलदार, सदर गोण्डा की आख्यानुसार विजय कुमार, सुरेश कुमार व कु0 गुलशन, जगई के पुत्र है। प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि वर्तमान अभियुक्त न तो प्रश्नगत बैनामे का क्रेता है और न विक्रेता, केवल उक्त प्रश्नगत बैनामे का हासिया गवाह है। पुलिस आख्या के अनुसार वर्तमान अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास दर्शित नहीं किया गया है। प्रकरण अत्यधिक पुराना है तथा विवेचनोपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र भी प्रेषित किया जा चुका है। सहअभियुक्त शिवदत्त की जमानत सत्र न्यायाधीश, गोण्डा के न्यायालय से पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है।

8— ऐसे में मामले के तथ्यो एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण दोष पर बिना विचार किये हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

## <u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **शुभकरन** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या सी—33/2007, धारा—419, 420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता, थाना—कोतवाली नगर, जिला गोण्डा के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सं0—**1300/2026 स्वीकार** किया जाता है। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मु0—50,000/— (पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं इसी धनराशि की **एक** प्रतिभू दाखिल करने पर उसे सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जावे।

**( दानिश हसनैन )**
**J.O.Code UP 2727**
**अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0—3**
**गोण्डा।**

**दिनांक 08.05.2026**